भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2456

जिसका उत्तर दिनांक गुरुवार, 06 फरवरी, 2014 को दिया जाना है

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

2456. श्री नारनभाई काछड़िया:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व का पूर्ण अनुपालन करते हुए कार्यक्रमों/योजनाओं को कार्यान्वित करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रत्येक उपक्रम द्वारा इस हेतु बनाए गए कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा इनके कार्यान्वयन के लिए संबंधित उपक्रम ने किन-किन क्षेत्रकों को उद्दिष्ट किया है तथा इस हेतु आज तक उपक्रम-वार व क्षेत्र-वार कितनी राशि स्वीकृत/व्यय की गई है;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनके मुख्यालय/उत्पादन इकाई से सुदूर क्षेत्रों में भी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रम/योजना को कार्यान्वित करने की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त किन-किन सुदूरस्थ स्थानों पर संबंधित उपक्रमों द्वारा कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और इस हेतु आबंटित/व्यय निधि कितनी है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क) और (ख): जी, हां। कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए धारणीयता पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम को कंपनी की लाभकारिता के आधार पर सीएसआर और धारणीय क्रियाकलाप/परियोजनाओं के लिए बजटीय आबंटन करना आवश्यक है। हालांकि, रूग्ण/हानि उठा रही कंपनियां अथवा वे कंपनियां जिनकी निवल संपत्ति ऋणात्मक है, उनके लिए सीएसआर तथा धारणीय क्रियाकलापों के लिए विशिष्ट निधियां उद्दिष्ट करना अनिवार्य नहीं है। भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वृहत क्षेत्र जैसे कि दक्षता विकास, स्वास्थ्य प्रबंधन, वनरोपण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, अवसंरचना, पर्यावरण सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण, विपदा/आपदा प्रबंधन में सीएसआर कार्यकलाप कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रमुख/लाभ अर्जित कर रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के कार्यकलापों पर उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न है।

(ख) और (घ): यद्यपि कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और धारणीयता पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनियां अपनी सीएसआर परियोजनाओं को देश के किसी भी पिछड़े क्षेत्र में स्थापित कर सकती हैं, तथापि भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उद्यम ने अपने मुख्यालयों/उत्पादन इकाइयों से सुदूर क्षेत्रों में सीएसआर कार्यकलाप नहीं किए हैं।

अनुलग्नक

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के संबंध में श्री नारनभाई काछड़िया द्वारा दिनांक 06.02.2014 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 2456 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रमुख/लाभ अर्जित कर रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के कार्यकलापों पर उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	2010-11 के दौरान उपयोग की गई निधियां	2011-12 के दौरान उपयोग की गई निधियां	2012-13 के दौरान उपयोग की गई निधियां
1.	भारत हेवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड	430.00	487.00	6311.00
2.	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	126.00	16.00	---
3.	हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	73.63	66.06	70.00
4.	हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड	27.62	35.18	42.91
5.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्श लिमिटेड	6.40	15.30	17.58
6.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	4.37	13.71	23.93
7.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड	2.91	3.62	5.99
8.	बीबीजे कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	1.36	2.20	4.60
9.	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड	0.99	1.00	---
10.	एण्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड		17.91	24.12

*****